



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127079

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 11777 वर्ष 2026

दीन मोहम्मद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद बेलाल

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय संजीव कुमार, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद बेलाल तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 75 वर्ष 2026, धारा 318 (4), 338, 336 (3) और 336 (4) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 66 सी, 66 डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना-हापुड़ देहात, जिला-हापुड़ में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 21.02.2026 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने ठगी करने के आशय से फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिसके द्वारा कथित तौर पर कुछ व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की गई। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने अपने रिश्तेदारों से एक पुराना मोबाइल फोन खरीदा था और उक्त मोबाइल फोन में अपना सिम कार्ड डाला था। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उक्त मोबाइल फोन के माध्यम से कोई धोखाधड़ी की गई थी। तथापि, पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर उसे वर्तमान अपराध में फंसा दिया है। इन परिस्थितियों में, यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया।
5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, सजा की कठोरता, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदक का जमानत का मामला बनता है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
6. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक-दीन मोहम्मद को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलका) और उसी धनराशि की दो प्रतिभूतियां (जमानतें) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:
 - (i) आवेदक ऐसे किसी भी अपराध को नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका वह आरोपी है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, तथा वह साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र (शपथ पत्र) प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता (तत्स्थानी धारा 269 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (तत्स्थानी धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (तत्स्थानी धारा 209 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले के प्रारंभ होने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (तत्स्थानी धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

12 जून, 2026

अमित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।